लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *49
दिनांक 01.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

पहचान योजना

*49. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में हस्तशिल्प कारीगरों का पंजीकरण करने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ की गई 'पहचान' योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत कारीगरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत इन हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय लाभ/सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक लाभान्वित कारीगरों की संख्या कितनी है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में कारीगरों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

दिनांक 01.12.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *49 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

(क): पहचान योजना का आरंभ 2016 में कारीगरों को एक नई वैश्विक पहचान प्रदान करके भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे उनके खातों में पहुँचाने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। वस्त्र मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों के फील्ड पदाधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के उपरांत आधार लिंक्ड पहचान कार्ड जारी किए जाते हैं। केवल पहचान कार्ड धारक ही विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ख): 31.10.2021 तक देश भर में 27.80 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को पंजीकृत किया गया है। हस्तशिल्प कारीगरों के राज्य-वार आंकड़े **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ग) से (ङ): जी हाँ महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित करता है। पहचान के अंतर्गत कारीगर ही विभिन्न विपणन कार्यक्रमों, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, डिजाइन कार्यशालाओं आदि में भाग लेकर इन योजनाओं (राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तथा बृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कारीगरों को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए परिश्रमिक के मुआवज़े के साथ यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। एनएचडीपी की कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ योजना में ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी घटक के अंतर्गत, प्रति कारीगर 3 वर्षों की अवधि के लिए 1.00 लाख रुपए की अधिकतम ऋण राशि पर 6% की दर से ब्याज अनुदान तथा 20,000/- रुपए की अधिकतम ऋण राशि पर 20% की दर से मार्जिन मनी भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 1 लाख रूपए से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कृत कारीगरों को 5000/- रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के दौरान हस्तशिल्प की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कारीगरों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-II** पर हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 01.12.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं .*49 के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं	राज्य	नामांकित कारीगर (दिनांक 31.10.2021 के अनुसार)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2708
2.	आंध्र प्रदेश	60732
3.	अरुणाचल प्रदेश	9513
4.	असम	81817
5.	बिहार	132982
6.	छत्तीसगढ़	14045
7.	दिल्ली	17261
8.	गोवा	7904
9.	गुजरात	129680
10.	हरियाणा	34827
11.	हिमाचल प्रदेश	18570
12.	जम्मू एवं कश्मीर	99467
13.	झारखंड	99923
14.	कर्नाटक	35538
15.	केरल	47925
16.	लद्दाख	2658
17.	मध्य प्रदेश	86802
18.	महाराष्ट्र	68092
19.	मणिपुर	69652
20.	मेघालय	4573
21.	मिज़ोरम	3887
22.	नागालैंड	8864
23.	ओडिशा	177245
24.	पुदुच्चेरी	15711
25.	पंजाब	33353
26.	राजस्थान	134954
27.	सिक्किम	2819
28.	तमिलनाडु	60646
29.	तेलंगाना	38826
30.	त्रिपुरा	13857
31.	उत्तर प्रदेश	952118
32.	उत्तराखंड	38902
33.	पश्चिम बंगाल	274270
	कुल	**2780184**

अनुबंध-II

दिनांक 01.12.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं .*49 के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अक्तू॰ 2021 तक)	कुल लाभार्थी (कॉलम 3 से 6 का योग)
1	2	3	4	5	6	(7)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1290	430	200	1280	3200
2.	आंध्र प्रदेश	9767	1354	3775	2240	17136
3.	अरुणाचल प्रदेश	1902	312	102	780	3096
4.	असम	1995	1530	6565	5758	15848
5.	बिहार	3209	1249	2522	2070	9050
6.	चंडीगढ़	178	340	0	240	758
7.	छत्तीसगढ़	1285	1065	620	970	3940
8.	दिल्ली	948	728	2227	3720	7623
9.	गोवा	100	130	0	820	1050
10.	गुजरात	6603	1906	5176	6700	20385
11.	हरियाणा	1264	1321	1232	1340	5157
12.	हिमाचल प्रदेश	1225	1595	7445	1290	11555
13.	जम्मू एवं कश्मीर	8117	665	1366	4860	15008
14.	झारखंड	1291	1500	1930	4240	8961
15.	कर्नाटक	894	1007	875	4000	6776
16.	केरल	1014	971	2325	3170	7480
17.	लद्दाख	0	81	60	1320	1461
18..	मध्य प्रदेश	8428	3355	4326	4160	20269
19.	महाराष्ट्र	5142	1698	3640	4440	14920
20.	मणिपुर	1491	257	3410	2580	7738
21.	मेघालय	695	510	126	1400	2731
22.	मिज़ोरम	260	40	62	780	1142
23.	नागालैंड	450	970	431	1660	3511
24.	ओडिशा	2252	895	1886	3880	8913
25.	पुदुच्चेरी	370	330	1030	1760	3490
26.	पंजाब	1760	1781	1971	3490	9002
27.	राजस्थान	25433	8544	5775	5360	45112
28.	सिक्किम	430	770	60	740	2000
29.	तमिलनाडु	1460	517	1789	3400	7166
30.	तेलंगाना	2095	861	1345	1630	5931
31.	त्रिपुरा	463	383	1193	830	2869
32.	उत्तर प्रदेश	9206	6458	23630	14320	53614
33.	उत्तराखंड	585	810	1290	1980	4665
34.	पश्चिम बंगाल	2023	1324	2635	3290	9274
	कुल	103625	45687	91019	100500	340831

***